

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 12/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:- 88,53,48,49 आरटीए



1. बहादुर सिंह | पि. बुध सिंह
2. सुखमन्द्र सिंह
3. जगसीर सिंह
4. दर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह
5. जगदेव सिंह उर्फ जगदीश सिंह पुत्र बलदेव सिंह
6. गुरदास सिंह पुत्र जंगीर सिंह
7. विजय सिंह पुत्र अनूप सिंह

जाति जटसिख
सा. सिंहपुरा
तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

—वादीगण

बनाम

1. पृथ्वी सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. परमजीत कौर पुत्री बुध सिंह पत्नी कश्मीर सिंह जाति जटसिख सा. नेहदेई तह.व जिला जैसलमेर
3. हरदीप सिंह पुत्र अमरजीत कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख सा. माणूका तह. व जिला हनुमानगढ
4. मनवीर कौर पुत्री अमरजीत कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख सा. बेहरवाल कलां तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ
5. जगसीर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
6. बलकरण सिंह पुत्र सुखराज सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
7. वीरपाल कौर पत्नी चमकौर सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
8. सर्वजीत कौर पत्नी गुलाब सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
9. अंग्रेज कौर पत्नी दारा सिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड खारी तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
10. शिवराज सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
11. बलराज सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया
12. प्रीतइन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया
13. रूपेन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया
14. नवदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
15. बलकरण सिंह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
16. बलकरण सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
17. सन्दीप कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
18. स्वर्ण सिंह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
19. विकास कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
20. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू अधिवक्ता – वादीगण
2. श्री चरणजीत सिंह सिद्धू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,17
3. श्री गुरमीत सिंह कलसी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 5

अधिवक्ता वादीया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रति स. 1 ता 8 के नाम से चक 23 ए.एम.पी. खाता स. 42/10 खाता जगदेव सिंह वगैरा ज.स. 2071-74 व इसी चक के खाता स. 70/7 खाता नवदीप सिंह वगैरा ज.स. 2071-74 व इसी चक के खाता स. 18/25 खाता गुरदास सिंह ज.स. 2071-74 व इसी चक के खाता स. 46/3 खाता जगसीर सिंह ज.स. 2071-74 व इसी चक के खाता स. 33/29 खाता अमरजीत कौर वगैरा ज.स. 2071-74 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चको के उक्त खातो की नकल जमाबन्दीयां संलग्न वाद पत्र है। दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी में से चक 23 ए.एम.पी. खाता स. 46/3 खाता जगसीर सिंह में प्रति स. 5 जगसीर सिंह ने अपने नाम दर्ज उक्त खाता की आराजी में से प.न. 111/163 मु.न. 36 किला न. 22/.253 कुल 0.253 है0 आराजी तबादला में प्रति स. 6 बलकरण सिंह पुत्र सुखराज सिंह को दे दी है। व इसी खाता के प.न. 111/163 मु.न. 36 किला न. 23/.253 है0 आराजी कुल 0.253 है0 आराजी तबादला में प्रति स. 7 वीरपाल कौर को दे दी है। व इसी चक के खाता स. 18/25 खाता गुरदास सिंह में वादी स. 6 गुरदास सिंह ने अपने नाम दर्ज आराजी में से 1.037 है0 आराजी तबादला में वादी स. 4 व 5 दर्शन सिंह— जगदेव सिंह उर्फ जगदीश सिंह पि. बलदेव सिंह को तबादला में दे दी है। व इसी चक के खाता स. 42/10 खाता जगदेव सिंह वगैरा में जगदेव सिंह उर्फ जगदीश सिंह व दर्शन सिंह (वादी स. 4 व 5) अपने नाम दर्ज आराजी में से 0.304 है0 आराजी वादी स. 6 गुरदास सिंह को दे दी है। मौका पर हम पक्षकार उक्त तबादलानुसार काबिज है। कब्जाकाश्त बाबत हमारा कोई विवाद नहीं है। व चक 23 ए.एम.पी. खाता स. 33/29 खाता अमरजीत कौर वगैरा ज.स. 2071-74 की कुल 10.373 है0 आराजी में से 1.297 है0 आराजी वादी स. 1 बहादर सिंह के हिस्सा में व 0.791 है0 आराजी वादी स. 2 सुखमन्द्र सिंह के हिस्सा में व 1.297 है0 आराजी वादी स. 3 जगसीर सिंह के हिस्सा में व 0.759 है0 आराजी वादी स. 6 गुरदास सिंह के हिस्सा में व 0.253 है0 आराजी वादी स. 7 विजय सिंह के हिस्सा में व 0.133 है0 आराजी प्रति स. 1 पृथ्वी सिंह के हिस्सा में व 0.506 है0 आराजी प्रति स. 5 जगसीर सिंह के हिस्सा में व 1.163 है0 आराजी प्रति स. 8 सर्वजीत कौर के हिस्सा में व 4.174 है0 आराजी मृतक चनण सिंह पुत्र केहर सिंह के वारिसान प्रति स. 10 ता 13 के हिस्सा में आई है। मृतक नसीब कौर पत्नी बलदेव सिंह फौत हो गई है। जिसके वारिस वादी स. 4 व 5 तथा प्रति स. 9 ही है। प्रति स. 9 ने अपना विरास्तन हक वादी स. 4 व 5 के पक्ष में ब.हि.ब परित्याग कर दिया है। जबकि प्रति स. 2 ता 4 ने अपना विरास्तन जरिये रजि0 दस्तवरदारी वादी स. 1 ता 3 व प्रति स. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अतः इस खाता की कुल आराजी उक्तानुसार हम पक्षकारान के ही कब्जाकाश्त में है। अन्य पक्षकारान का उक्त खाता में कोई हक हिस्सा व कब्जा नहीं है। अतः इस खाता से हम उक्त पक्षकारान के अलावा अन्य समस्त हिस्सेदारान का नाम कलमजन किया जावे। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री हम वादीगण प्राप्त करना चाहते हैं। वादीगण एव प्रति स. 1 व 5 ता 8 ने सांझा खाता के अन्य सहहिस्सेदारन के साथ सांझा खाता की भूमि का आपस में घरू विभाजन कर लिया है। घरू विभाजन अनुसार हम वादीगण व प्रति स. 1 व 5 ता 8 के हिस्सा में निम्नानुसार आराजी आई है:-

ए वादी स. 1 बहादर सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.

111/162 31 19-20-21-22/.253प्र

110/163 37 4/1/.032 5/1/.228 5/2/.025

बी वादीस . 2 सुखमन्द्र सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.

111/163 36 1/1/.228 1/2/.025 10/.253 11/.253

110/163 37 4/1/.032

सी वादी स. 3 जगसीर सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.

110/162 30 6-15-16-25/.253प्र.

110/163 37 4/1/.063 7/.222



- डी वादी स. 4 व 5 दर्शन सिंह—जगदेव सिंह उर्फ जगदीश सिंह पि. बलदेव सिंह का हिस्सा:—
चक 23 ए.एम.पी.
111/163 36 14/.101 15/1/.063 15/2/.190 16/.253
17/.101 24/.076 25/.253
- ई वादी स. 6 गुरदास सिंह पुत्र जंगीर सिंह का हिस्सा:—
चक 23 ए.एम.पी.
111/163 36 2/1/.228 2/2/.025 4/1/.152 7/.152
9—12/.253प्र
- एफ वादी स. 7 विजय सिंह पुत्र अनुप सिंह का हिस्सा:—
चक 23 ए.एम.पी.
110/163 37 17/.253
- जी प्रति स. 1 पृथ्वी सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:—
चक 23 ए.एम.पी.
110/163 37 6/.133
- एच प्रति स. 5 जगसीर सिंह पुत्र अजमेर सिंह का हिस्सा:—
चक 23 ए.एम.पी.
111/162 31 11—12/.253प्र = 0.506 है०
- आई प्रति स. 6 बलकरण सिंह पुत्र सुखराज सिंह का हिस्सा:—
चक 23 ए.एम.पी.
111/163 36 22/.253
- जे प्रति स. 7 वीरपाल कौर पत्नी चमकौर सिंह का हिस्सा:—
चक 23 ए.एम.पी.
111/163 36 23/.253
111/161 26 21/.253
111/162 31 2/1/.215
110/161 27 25/.253
- के प्रति स. 8 सर्वजीत कौर पत्नी गुलाब सिंह का हिस्सा:—
चक 23 ए.एम.पी.
111/163 36 20/.253
110/163 37 6/.120 7/.031 14—15—16/.253प्र



4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चला आ रहा है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम इसी अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण उनके खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीगण को मुताबिक तबादला दावा की दफा 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान लें तथा वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद करवा दें। लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।

लिहाजा वाद वादीगण बहक प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 23 ए.एम.पी. खाता स. 46/3 खाता जगसीर सिंह में प्रति स. 5 जगसीर सिंह के नाम दर्ज आराजी मे से 0.253 है० आराजी का प्रति स. 6 बलकरण सिंह व 0.253 है० आराजी की प्रति स. 7 वीरपाल कौर खातेदार काश्तकार है। व इसी चक के खाता स. 18/25 खाता गुरदास सिंह में वादी स. 6 गुरदास सिंह के नाम दर्ज कुल आराजी मे से 1.037 है० आराजी के वादी स. 4 व 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। व इसी चक के खाता स. 42/10 खाता जगदेव सिंह वगैरा में वादी स. 4 व 5 के नाम दर्ज आराजी मे से 0.304 है० आराजी का वादी स. 6 गुरदास सिंह खातेदार काश्तकार है। व इसी चक के खाता स. 33/29 की कुल आराजी मे से 1.297 है० आराजी का वादी स. 1 बहादर सिंह व 0.791 है० आराजी का वादी स. 2 सुखमन्द्र सिंह व 1.297 है० आराजी का वादी स. 3 जगसीर सिंह व 0.759 है० आराजी का वादी स. 6 गुरदास सिंह व 0.253 है० आराजी का वादी स. 7 विजय सिंह व 0.133 है० 0 आराजी प्रति स. 1 पृथ्वी सिंह व 0.506 है० आराजी का प्रति स.

5 जगसीर सिंह व 1.163 है0 आराजी की प्रति स. 8 सर्वजीत कौर खातेदार काश्तकार है। व इस खाता की शेष 4.174 है0 आराजी मृतक चनण सिंह के वारिसान प्रति स. 10 ता 13 के हक व हिस्सा की है। अतः इस खाता से अन्य समस्त सहहिस्सेदारो का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1 व 5 ता 8 व मृतक चनण सिंह के वारिसान प्रति स. 10 ता 13 के नाम दर्ज की जाकर अन्य समस्त सहहिस्सेदारो का नाम कलमजन किया जावे व वादीगण व प्रति स. 1 व 5 ता 8 का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कामय किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 14,15,16,18,19 की तलबी साधारण सम्मन से करवाई गई। उक्त प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 17 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये, जिसका वादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 20 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 6 गुरदास सिंह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण एवं उपस्थित प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण बन्द किये गये। वादीगण ने चक 23 एएमपी खाता संख्या 33/29, 42/10, 46/3,18/25, 70/7 ज.स. 2071-74 की जमाबन्दीयां प्रदर्श करवाई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र व काउन्टर क्लेम के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार होना एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 17 सहमत होना व प्रतिवादी संख्या 14 ता 16, 18,19 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने एवं वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र मुताबिक काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 23 एएमपी खाता संख्या 33/29 खाता अमरजीतकौर वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071-2074, चक 23 एएमपी खाता संख्या 42/10 खाता जगदेव सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 व चक 23 एएमपी खाता संख्या 46/3 खाता जगसीर सिंह जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 एव चक 23 एएमपी खाता संख्या 18/25 खाता गुरदास सिंह जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 तथा चक 23 एएमपी खाता संख्या 70/7 खाता नवदीप सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 17 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किये है, वाद पत्र में कोई विरोध नही है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 17 खाता विभाजन के अधिकारी है। अतः वाद की दफा 4 में वर्णित चक 23 एएमपी खाता संख्या 33/29 खाता अमरजीतकौर वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता विवादित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 17 के मध्य कोई विवाद नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 16, 18, 19 तामिल के बावजूद उपस्थित नही होने के कारण वादीगण वाद-पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 17 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 17 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

1. वादी स. 1 बहादर सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/162	31	19-20-21-22/.253प्र
110/163	37	4/1/.032 5/1/.228 5/2/.025



2. वादी स. 2 सुखमन्द्र सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	1/1/.228 1/2/.025 10/.253 11/.253
110/163	37	4/1/.032

3. वादी स. 3 जगसीर सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
110/162	30	6-15-16-25/.253प्र.
110/163	37	4/1/.063 7/.222

4. वादी स. 4 व 5 दर्शन सिंह-जगदेव सिंह उर्फ जगदीश सिंह पि. बलदेव सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	14/.101 15/1/.063 15/2/.190 16/.253, 17/.101, 24/.076 25/.253

5. वादी स. 6 गुरदास सिंह पुत्र जंगीर सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	2/1/.228 2/2/.025 4/1/.152 7/.152, 9-12/.253 प्र

6. वादी स. 7 विजय सिंह पुत्र अनुप सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
110/163	37	17/.253

7. प्रति स. 1 पृथ्वी सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
110/163	37	6/.133

8. प्रति स. 5 जगसीर सिंह पुत्र अजमेर सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/162	31	11,12/.253 प्र.= 0.506 है0

9. प्रति स. 6 बलकरण सिंह पुत्र सुखराज सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	22/.253

10. प्रति स. 7 वीरपाल कौर पत्नी चमकौर सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	23/.253
111/161	26	21/.253
111/162	31	2/1/.215
110/161	27	25/.253

11. प्रति स. 8 सर्वजीत कौर पत्नी गुलाब सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	20/.253



110/163	37	6/.120 7/.031 14-15-16/.253प्र
---------	----	--------------------------------

12. प्रतिवादी संख्या 11 बलराज सिंह पुत्र बुटासिंह का हिस्सा :-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
110/162	30	7 ता 9/0.253 प्र. 12 ता 14/0.253 प्र. 17 ता 19/0.253 प्र. 22 ता 24/0.253 प्र कुल 3.036 है.
110/163	37	3/1/0.228,3/2/0.025,4/1/0.101,4/2/0.025,8,13,18/0.253 प्र. कुल 1.138 है.

13. प्रतिवादी स. 16 बलकरण सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह व प्रतिवादी संख्या 17 संदीप कौर पत्नी जसकरण सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/158	11	12/0.202, 18/0.253 कुल 0.455 है.

उक्तनुसार खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 53/88/48/49 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 12/2023

- | | |
|--|--------------|
| 1. बहादर सिंह | पि. बुध सिंह |
| 2. सुखमन्द्र सिंह | |
| 3. जगसीर सिंह | |
| 4. दर्शन सिंह पुत्र बलदेव सिंह | |
| 5. जगदेव सिंह उर्फ जगदीश सिंह पुत्र बलदेव सिंह | |
| 6. गुरदास सिंह पुत्र जंगीर सिंह | |
| 7. विजय सिंह पुत्र अनूप सिंह | |

जाति जटसिख
सा. सिंहपुरा
तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ



—वादीगण

बनाम

1. पृथ्वी सिंह पुत्र बुध सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. परमजीत कौर पुत्री बुध सिंह पत्नी कशमीर सिंह जाति जटसिख सा. नेहदेई तह.व जिला जैसलमेर
3. हरदीप सिंह पुत्र अमरजीत कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख सा. माणूका तह. व जिला हनुमानगढ
4. मनवीर कौर पुत्री अमरजीत कौर पुत्री बुध सिंह जाति जटसिख सा. बेहरवाल कलां तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ
5. जगसीर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
6. बलकरण सिंह पुत्र सुखराज सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
7. वीरपाल कौर पत्नी चमकौर सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
8. सर्वजीत कौर पत्नी गुलाब सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
9. अंग्रेज कौर पत्नी दारा सिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड खारी तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
10. शिवराज सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
11. बलराज सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया
12. प्रीतइन्द्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया
13. रूपेन्द्र कौर पत्नी गुरमीत सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया
14. नवदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
15. बलकरण सिंह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
16. बलकरण सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
17. सन्दीप कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख सा. इन्द्रपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
18. स्वर्ण सिंह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
19. विकास कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट सा. सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
20. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्धू व गुरमीत कलसी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 17 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:—

1. वादी स. 1 बहादर सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/162	31	19-20-21-22/.253प्र
110/163	37	4/1/.032 5/1/.228 5/2/.025

2 वादी स. 2 सुखमन्द्र सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	1/1/.228 1/2/.025 10/.253 11/.253
110/163	37	4/1/.032

3 वादी स. 3 जगसीर सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
110/162	30	6-15-16-25/.253प्र.
110/163	37	4/1/.063 7/.222

4 वादी स. 4 व 5 दर्शन सिंह-जगदेव सिंह उर्फ जगदीश सिंह पि. बलदेव सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	14/.101 15/1/.063 15/2/.190 16/.253, 17/.101, 24/.076 25/.253

5 वादी स. 6 गुरदास सिंह पुत्र जंगीर सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	2/1/.228 2/2/.025 4/1/.152 7/.152, 9-12/.253 प्र

6 वादी स. 7 विजय सिंह पुत्र अनुप सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
110/163	37	17/.253

7 प्रति स. 1 पृथ्वी सिंह पुत्र बुध सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
110/163	37	6/.133

8 प्रति स. 5 जगसीर सिंह पुत्र अजमेर सिंह का हिस्सा:-


चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/162	31	11,12/.253 प्र.= 0.506 है0

9 प्रति स. 6 बलकरण सिंह पुत्र सुखराज सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	22/.253

10 प्रति स. 7 वीरपाल कौर पत्नी चमकौर सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	23/.253
111/161	26	21/.253
111/162	31	2/1/.215
110/161	27	25/.253



11 प्रति स. 8 सर्वजीत कौर पत्नी गुलाब सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/163	36	20/.253
110/163	37	6/.120 7/.031 14-15-16/.253प्र

12 प्रतिवादी संख्या 11 बलराज सिंह पुत्र बुटासिंह का हिस्सा :-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
110/162	30	7 ता 9/0.253 प्र. 12 ता 14/0.253 प्र. 17 ता 19/0.253 प्र. 22 ता 24/0.253 प्र कुल 3.036 है.
110/163	37	3/1/0.228,3/2/0.025,4/1/0.101,4/2/0.025,8,13,18/0.253 प्र. कुल 1.138 है.

13 प्रतिवादी स. 16 बलकरण सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह व प्रतिवादी संख्या 17 संदीप कौर पत्नी जसकरण सिंह का हिस्सा:-

चक 23 ए.एम.पी.		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
111/158	11	12/0.202, 18/0.253 कुल 0.455 है.

उक्तनुसार वादीगण/प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.07.2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

